न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./35/2024

1. रणजीत पुत्र रामनाथ जाति जोगी निवासी कुम्हारिया तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. शिवनाथ पुत्र रामनाथ जाति जोगी निवासी कुम्हारिया तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीयां

बनाम

1. रामकरण पुत्र हरिराम
2. भालाराम पुत्र नारायण
3. सुरेश पुत्र शिवराम
4. सुरजकरण पुत्र घासी
5. सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल
6. सुरजकरण पुत्र लादू
7. वल्लभराम पुत्र मांगीलाल
   समस्त जातिगण गुर्जर निवासीगण कुम्हारियां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
8. गणपत पुत्र श्रवण जाति साधू निवासी कुम्हारिया तहसील भिनाय जिला केकड़ी
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– शम्मी मोहम्मद
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा कुम्हारिया पटवार क्षेत्र कुम्हारियां भू0अ0नि0 क्षेत्र बान्दनवाड़ा के खाता सं0 82 में दर्ज खसरा नं. 311/4095 रकबा 0.62 ख्कुल किता 01 कुल रकबा 0.62 हैक्ट और खाता संख्या 81 में दर्ज खसरा नं. 311 रकबा 0.53, खसरा न. 311/4092 रकबा 0.31 कुल किता 02 कुल रकबा 0.84 हैक्ट जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 08 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 09 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 08 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 08 तक के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने के कथन करते हुए, प्रार्थना–पत्र साबित करने का भार प्रार्थीगणों पर बताया। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम कुम्हारियां के खाता संख्या 82 तथा 81 संवत 2072–2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा कुम्हारिया पटवार क्षेत्र कुम्हारियां भू0अ0नि0 क्षेत्र बान्दनवाड़ा के खाता सं0 82 में दर्ज खसरा नं. 311/4095 रकबा 0.62 ख्कुल किता 01 कुल रकबा 0.62 हैक्ट और खाता संख्या 81 में दर्ज खसरा नं. 311 रकबा 0.53, खसरा न. 311/4092 रकबा 0.31 कुल किता 02 कुल रकबा 0.84 हैक्ट हेतू नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)